क्रम-संख्या—185

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 जुलाई, 2007

आषाढ़ 22, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1240/79—वि—1—07—01—(क)21-2007

लखनऊ, 13 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 12 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 37 और 38 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, की धारा 37 और 38 में शब्द "कुलाधिपति" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 की धारा 37 में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, झांसी, और जौनपुर स्थित विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है और धारा 38 में लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षण प्रदान करने हेतु मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था है। उक्त धाराओं में यह व्यवस्था थी कि ऐसी सम्बद्धता या मान्यता कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से स्वीकृत की जायेगी। यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि ऐसी सम्बद्धता या मान्यता को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से स्वीकृत किया जाय। अतः यह विनिश्चय किया गया कि तदनुसार व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतएव राज्यपाल द्वारा 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No.1240 /79—V-1-07-1(ka)21/2007
Dated Lucknow, July 13, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2007)

as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 12, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 12 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 2, 2007.

Amendment of section 37 and 38 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by the U.P. Act no. 29 of 1974

2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 in section 37 and 38, *for* the word "Chancellor" wherever occurring, the words "State Government" shall be *substituted.*

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 5 of 2007

3.(1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 37 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 provides for admission of colleges to the privileges of affiliation by the Universities situate at Agra, Gorakhpur, Kanpur, Faizabad, Meerut, Bareilly, Jhansi and Jaunpur and section 38 provides for recognition of associated colleges of Lucknow University to impart instructions for post graduate degrees. In the said sections it was provided that such admission or recognition shall be granted with the previous sanction of the Chancellor. It had been considered proper and expedient that such admission or recognition should be granted with the previous sanction of the State Government. It was, therefore decided to amend the said Act to provide for accordingly.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 5 of 2007) was promulgated by the Governor on June 2, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–275 राजपत्र(हि0)–(739)–2007–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–158 सा0 विधा0–(740)–2007–850 प्रतियां (आफसेट)।